उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-117/2015/4318/92-1-2015-51(अधि0)/2015,
लखनऊ: दिनांक: 23 सितम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक शासनादेश सं0-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के अनुक्रम में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधोतालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सहायक/अधिशासी अभियंताओं को शासनादेश सं0-71/77/38-9-92-93एम/89, दिनांक 29-12-92 की व्यवस्था के अन्तर्गत सहायक अभियंता के पद पर 05 वर्ष की सेवा के उपरान्त अनुमन्य कराये गये प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की अधोतालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित तिथि के स्थान पर, उनके विनियमितीकरण की तिथि के अनुसार स्तम्भ-6 में उल्लिखित संशोधित तिथि से उक्त प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराये जाने तथा ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01-12-2008 को धारित पद पर 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अधोतालिका के स्तम्भ-8 में उल्लिखित तिथि से स्तम्भ-9 में उल्लिखित ग्रेड वेतन द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में अनुमन्य कराये जाने/न कराये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	नाम/पद नाम	विनियमिती - करण की तिथि	सहा0 अभि0 के पद पर 5 वर्ष की सेवा के उपरान्त अनुमन्य कराया गया प्रथम चिन्हित वेतनमान /तिथि		विनियमिती-करण की तिथि के अनुसार प्रथम चिन्हित वेतनमान की संशोधित तिथि	दिनांक 01-12-08 को धारित पद/ग्रेड वेतन	ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय ए0सी0पी0 की अनुमन्यता की तिथि/ग्रेड वेतन	
			तिथि	अनुमन्य वेतनमान	संशोधित तिथि		तिथि	अनुमन्य ग्रेड वेतन/ अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	श्री अनिल कुमार सक्सेना, अधि0अभि0	लो0से0आ0	29-4-98	10000-15200	---	सहा0अभि0 /6600	18-8-09	7600/-
2	श्री देवेन्द्र सिंह, सहा0अभि0 (मृतक दि0 04-04-2011)	विश्व बैंक परि0 से समायोजित	12-01-99	10000-15200	---	सहा0अभि0 /6600	01-2-10	7600/-
3	श्री बनवारी लाल, सहा0अभि0 (से0नि0 दि0 31-01-2014)	विश्व बैंक परि0 से समायोजित	12-01-99	10000-15200	---	सहा0अभि0 /6600	01-2-10	7600/-
4	श्री करन पाल सिंह सहा0अभि0	विश्व बैंक परि0 से समायोजित	12-01-99	10000-15200	---	सहा0अभि0 /6600	11-2-10	7600/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह, सहा0अभि0	विश्व बैंक परि0 से समायोजित	12-01-99	10000-15200	---	सहा0अभि0 /6600	10-2-10	श्री सिंह को दिये गये दण्डों के दृष्टिगत उनकी सेवा संतोषजनक न होने के कारण दिनांक 10-2-10 से, उन्हें द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड वेतन रू0 7600/- अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
6	श्री विजय कुमार सहा0अभि0 (यांत्रिक) (से0नि0दि0 31-12-2009	22-11-2000	28-01-98	10000-15200	22-11-2000	सहा0अभि0 /6600	28-11-09	7600/-
7	श्री हेमन्त सक्सेना सहा0अभि0 (यांत्रिक)	लो0से0आ0	27-12-02	10000-15200	----	सहा0अभि0 /6600	27-12-13	7600/-
8	श्री सुजीत कुमार सिन्हा, सहा0अभि0 (विद्युत)	लो0से0आ0	23-4-03	10000-15200	---	सहा0अभि0 /6600	23-04-14	7600/-

2- उपरोक्त सहायक/अधिशासी अभियंताओं को पूर्व में अनुमन्य कराये गये प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की तिथि में संशोधन/द्वितीय ए0सी0पी0 की उपरोक्त स्वीकृति के अनुक्रम में उन्हें अनुमन्य धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही भी अवश्य सुनिश्चित की जाय :-

(क) ऐसे सहायक/अधिशासी अभियंता, जो सम्प्रति सेवारत हैं, उनके प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि में परिवर्तन होने के फलस्वरूप पूर्व में भुगतान की गयी अधिक धनराशि की वसूली उनके वेतन/देयकों से की जाय।

(ख) ऐसे सहायक/अधिशासी अभियंता, जिन्हें सेवानिवृत्त हुये 03 वर्ष से कम अवधि व्यतीत हुई है, उनके प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्व में भुगतान की गयी अधिक धनराशि की वसूली उनके देयकों से की जाय एवं तद्नुसार उनकी पेंशन भी संशोधित करायी जाय।

(ग) ऐसे सहायक/अधिशासी अभियंता, जिन्हें सेवानिवृत्त हुये 03 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो गयी है, उनके प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि में परिवर्तन होने के फलस्वरूप पूर्व में भुगतान की गयी अधिक धनराशि की वसूली विधिक रूप से उचित न होने के दृष्टिगत उनसे वसूली की कार्यवाही न की जाय, किन्तु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasan desh.up.nic.in

यदि इन्हें द्वितीय चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान अथवा ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य होता है, तो तद्नुसार इनसे वसूली हेतु निर्धारित धनराशि का समायोजन इन्हें देय धनराशि की सीमा तक किया जाय तथा इनकी पेंशन भी तद्नुसार संशोधित करायी जाय।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-117 /2015/4318(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- संबंधित सहायक/अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।